जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स विनस माईन्स, प्लॉट नम्बर 67 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.7900 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1778, 795 निकट ग्राम डाबला तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 12.06.2026 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1483 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 12.06.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 01:30 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2026/1483 दिनांक 20.04.2026 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसआईके– पीएच–054/168–78 दिनांक 23.04.2026 के अनुपालना में मैसर्स विनस माईन्स, प्लॉट नम्बर 67 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.7900 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1778, 795 निकट ग्राम डाबला तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 12.06.2026 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **दैनिक भास्कर (शेखावाटी भास्कर)** के संस्करण में दिनांक 06.05.2026 एवं **दैनिक उद्योग आस–पास** के संस्करण में दिनांक 06.05.2026 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

Danita

अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स एक्सल ईन्वायरोटेक प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री रविशंकर शर्मा के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाए की जायेगी।

जनसनुवाई के दौरान ग्रामवासियों ने जन सुनवाई का विरोध किया तथा श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना के द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपके द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार प्रकट करने है वो आप लिखित एवं मौखिक रूप से यहां दें सकते है परन्तु पहले इकाई प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में जो विस्तृत जानकारी यहां दी जा रही है, उसे आप लोग शांति से सुनें उसके पश्चात् आप जो भी आपत्ति हमें देगें उसे कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न कर अग्रीम स्तर पर भेजा जायेगा। इसके साथ ही ग्रामीणवासियों विरोध प्रदर्शन किया, खनन माफ़िया वापिस जाओं के नारे लगाये गयें तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र से बाहर आकर लोगों की आपत्तियां लेने के लिए मांग करने लगें। जिसके पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं क्षेत्रीय अधिकारी राजीव सेवा केन्द्र के बाहर आकर लोगों को समझाया कि यह एक प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में जन सुनवाई की जा रही है और इससे सम्बन्धित आप लोगों को जो भी अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट करने है वों यहां पर लिखित एवं मौखिक रूप से दें सकते है। यहां पर हम आप लोगों को ही सुनने आये है। इसके पश्चात् ग्रामीणवासी श्री जयराम सिंह, निवासी डाबला द्वारा अपने विचार प्रकट किये गये कि पहले डाबला में क्रेशर लगे थे उनकी दूरी

Savita

अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना

आबादी क्षेत्र से कम थी जिसकी जांच कलेक्टर महोदय के द्वारा करवाई गई थी जिनकी दूरी कम निकलने पर कलेक्टर महोदय एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्रेशरों को बन्द करवाया गया जिनके आदेश हमारे पास है। हमारा निवेदन यह है कि इनको एनओसी देने एवं सुनवाई करने के पहले इस बात की जांच करवाये हमारे यहां पर जो पहाड़ है उसकी उंचाई 100 मीटर से ऊंची है यह 200 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। जो भी 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वह अरावली श्रृंखला का हिस्सा है और अरावली श्रृंखला में खनन नहीं हो सकता यदि हो सकता है तो आप बताईये। दूसरा आपसे यह निवेदन है कि वर्ष 2013 में यहां की जनता माननीय हरित प्राधीकरण न्यायालय, भोपाल में गई एवं उनके सामनें अपनी पीड़ा रखी और न्यायालय ने दिनांक 04.04.2016 को आदेश जारी किया गया कि चाहे क्रेशर पहले लगा हुआ हो या लीज हुई हो उस पर जाने के लिए डामर या सीमेन्ट रोड़ होनी चाहिए, मेरे पास रिर्टन में कागज है लेकिन यहां पर रास्ता भी कटान में नहीं है। जब यहां पर रास्ता ही नही है तो आप जो जन सुनवाई करने आये हो तो बताईये कि खनन क्षेत्र में आना–जाना कैसा होगा, बिना रास्ते के आप कहां चले जाओगें और यहां पर पहले भी रास्ता नहीं था इन्होनें हमारे चारागाह को नष्ट किया गया, वन क्षेत्र में हमारे द्वारा लगाये गये पेड़ काट दिये गये। 15 वर्षों में हमारे गांव की युवा एवं हमारे द्वारा हजारों पेड़ यहां लगाये गये है। इसमें हमारे शिक्षक, हमारे भामाशाह, हमारे मजदूर, हमारे किसान आदि शामिल है। इनकी हमारे द्वारा सुरक्षा की गई एवं हर 03 दिन पानी के टैंकर भी डलवाये जाते है। हमारे भामाशाह द्वारा सहयोग किया जाता है। हमारे डाबला ग्राम, हॉस्पीटल, राजकीय विद्यालय आदि में जितना वृक्षारोपण किया गया है उतना कही ओर हों तो हमे बताये। इस हमारा आपसे निवेदन है कि जो जन सुनवाई हो रही है इससे पहले भी उपखण्ड कार्यालय में जो लिखित में समझौता हुआ था उसकी पालना पहले करवायें। उसके बाद खनन को एनओसी देने के लिए आयें। हमारे द्वारा रिर्टन में आपको कागज/ज्ञापन दे रहे है। यह हमारी पूंजी जैसे भेड़–बकरियां है यदि खनन प्रारम्भ हो गया तो यह कहां जायेगें एवं हमारे ग्राम से सैकड़ों लोग भेड़–बकरी पालन करके जीवन यापन किया जा रहा है उनका जीवन दुर्भर हो जायेगा। हमारे चारों ओर गांव स्यालोदड़ा, मीणा की नांगल, टोडा इस सबको बबार्द कर दिया एक डाबला गांव बचा है इसमें भी आज आप आ गये। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर से निवेदन है कि हमारे गांव में खनन बन्द होने बाद कई डॉक्टर, शिक्षक बने है। हमारी प्राईमरी स्कूल में रिटायर्ड पीटीआई श्री रामवतार जी जैसे फौज, खेलने की निशुल्क ट्रेनिंग देते है। इन सब के लिए सरकार ये पैसा नहीं देती है लेकिन इस गांव के भामाशाह द्वारा पैसा दिया जाता है। डाबला गांव में 1 करोड़ से भी अधिक काम भामाशाह एवं आपसी सामंजस्य से किया गया है। इस गांव की सीनियर सेकेण्डरी स्कूल का हॉल क्रेशरों की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है उस पर इंजीनियर ने उसे बैठने लायक नहीं बताया है जब क्रेशर एवं लीजे संचालित हुई तो स्कूल पहाड़ी के तलहटी में है जिसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जिसके लिए हमारे गांव ने 20 लाख रूपये इकठ्ठे कर लिये गये एवं सरकार द्वारा केवल 02 लाख ही स्वीकृत किये

अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना

गये तथा प्राचार्य जी ने इसके लिए 15 लाख रूपये की अनुमानित लागत स्वीकृति हेतु भिजवायी गयी है। हमारे गांव के लिए कुछ करना है तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए करें। आप वहा जाके स्थिति देखें आपने तो मना कर दिया गया बच्चे यहां ना बैठाये तो बच्चे कहां बैठे धूम में। आपकी सरकार का कोई काम करना है वों काम करवायें उसमें हम आपका सहयोग करेगें आप अगर सरकार का 02 लाख 05 लाख खर्च करेगें तो हमारे ग्रामीण, भामाशाह उससे 05 गुणा आपका सहयोग करेगें। आपसे निवेदन है कि हमारे गांव के विकास निर्माण बाधा ना बनें और ये जो प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए जन सुनवाई को यहीं पर ड्रोप करें। हमारा गांव इसके लिए एकजुट है इसमें हमारे गांव के सरपंच, पंच, ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि आदि आपसे पुरजोर निवेदन कर रहे है कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए। इस के साथ ही ग्रामवासियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।

जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 04 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

Savita
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रण मण्डल, सीकर

Regional Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
...singhpura Housing Board, Sikar

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना जिला सीकर

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीम का थाना (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स विनस माईन्स, प्लॉट नम्बर 67 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.7900 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1778, 795 निकट ग्राम डाबला तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 12.06.2026 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1483 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **12.06.2026 (शुक्रवार)** को **दोपहर 01:30 बजे**, स्थान– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर ।**

दिनांक :– 12.06.2026 **समय :– दोपहर 01:30 बजे (शुक्रवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.		
2	Danita, RO, RSPCB	Danita
3.		
4	[illegible] (पुराशक) डाबला	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	Harish [illegible]	[illegible]
	Rahul [illegible]	Rahul [illegible]

	जितेन्द्र सिंह पंच प्रतिनिधि	J Singh
	रितु महिला	[illegible]
	सुखराम	सुखराम
	रूपमल	रूपमल
	बबलू	[illegible]

॥ गोवंश एवं पशुधन की रक्षा ही गोपालकों की सच्ची सेवा है ॥

समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य - भेड़-बकरी पालन व पारंपरिक पशुपालक संघ

ग्राम: डाबला, तहसील: पाटन, जिला: सीकर (राजस्थान)

दिनांक: 12 जून 2026

सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर / पीठासीन अधिकारी (लोक जनसुनवाई),

जिला - सीकर,

राजस्थान।

> **विषय: ग्राम डाबला (तहसील पाटन, जिला सीकर) के पहाड़ में प्लॉट संख्या 67, खसरा संख्या 1778 एवं 795 की प्रस्तावित खनन NOC का भेड़-बकरी पालकों के जीविकोपार्जन व गोचर (चारागाह) संरक्षण हेतु कड़े विरोध एवं खनन पट्टा निरस्त करने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हम समस्त भेड़-बकरी पालक, चरवाहे एवं पारंपरिक पशुपालक परिवार, ग्राम डाबला (तहसील पाटन, जिला सीकर) इस ज्ञापन के माध्यम से आगामी प्रस्तावित खनन परियोजना से हमारे रोजगार, पशुधन के अस्तित्व और पारंपरिक चारागाह भूमि पर आने वाले विनाशकारी संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम सभी पशुपालक इस खनन क्षेत्र की NOC जारी करने का सामूहिक रूप से पुरजोर विरोध करते हैं।

हमारे विरोध और इस प्रस्तावित खनन पट्टे को निरस्त करने के मुख्य विधिक, आर्थिक व व्यावहारिक आधार निम्नानुसार हैं:

NOC विरोध के मुख्य विधिक व पारंपरिक आधार:

1. पारंपरिक आजीविका और रोजगार पर सीधा प्रहार:

डाबला और पाटन क्षेत्र का यह पहाड़ तथा इससे सटी भूमि हमारे सैकड़ों परिवारों की हजारों भेड़-बकरियों और मवेशियों के लिए एकमात्र पारंपरिक प्राकृतिक चराई क्षेत्र (Grazing Ground) है। हमारा पूरा जीवन और आजीविका इसी पशुधन पर निर्भर है। यदि यहाँ खनन की स्वीकृति दी गई, तो हमारे मूक पशुओं के लिए चारे और पानी का घोर संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी।

2. ग्राम सभा डाबला के वैधानिक प्रस्ताव (चारागाह संरक्षण) की अवहेलना:

पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थानीय ग्राम सभा डाबला द्वारा हमारे पशुधन के चारे और गोचर भूमि की रक्षा हेतु सर्वसम्मति से **आधिकारिक प्रस्ताव** पारित किया जा चुका है। इस वैधानिक प्रस्ताव के तहत ग्राम सभा ने इस संपूर्ण पहाड़ और चारागाह क्षेत्र को पर्यावरण व पशुधन हेतु सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है। अतः यहाँ खनन की अनुमति देना ग्राम सभा के विधिक निर्णय का सीधा उल्लंघन है।

3. पूर्व में नियमों की अवहेलना पर क्रेशर का कन्वर्जन रद्द होने का प्रशासनिक साक्ष्य:

इस क्षेत्र में पूर्व में स्थापित और नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे **क्रेशर का भूमि रूपांतरण (Conversion) प्रशासन द्वारा ऑलरेडी रद्द किया जा चुका है।** यह इस बात का जीवित प्रशासनिक प्रमाण है कि यह क्षेत्र खनन या क्रेशर जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है और इससे पूर्व में भी चारे व पर्यावरण को भारी क्षति पहुँची है। **[संलग्नक क्रमांक 02]**

4. एनजीटी (NGT) भोपाल के 04 अप्रैल 2016 के आदेश की अवहेलना:

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), भोपाल के स्पष्ट आदेशानुसार खनन पट्टे से मुख्य सड़क तक पक्की सड़क होना अनिवार्य है, ताकि उड़ने वाली डस्ट चारे की वनस्पतियों और पेड़ों पर न जमे। वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारी धूल के कारण बची-कुची घास भी जहरीली हो जाएगी, जिसे खाकर हमारे पशु गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। **[संलग्नक क्रमांक 03]**

5. अरावली पर्वत श्रृंखला का विनाश व पशुधन को खतरा:

हमारा यह पहाड़ 100 मीटर से अधिक ऊँचा होने के कारण अरावली श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ होने वाली भारी ब्लास्टिंग (धमाकों) और खनन के कारण होने वाले पत्थरों के स्खलन (Landslide) से पहाड़ पर चरने वाले हमारे पशुओं और चरवाहों की जान को चौबीसों घंटे सीधा खतरा बना रहेगा।

॥ प्रार्थना / मांग पत्र ॥

अतः श्रीमान से समस्त भेड़-बकरी पालक व पशुपालक समाज की ओर से करबद्ध प्रार्थना है कि बेजुबान पशुओं के चारे, हमारे पारंपरिक रोजगार और ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 04 का सम्मान करते हुए:

1. प्लॉट संख्या 67, खसरा संख्या 1778 एवं 795 की इस विवादित व नियम विरुद्ध पर्यावरण NOC को तुरंत प्रभाव से **खारिज/अस्वीकृत** किया जाए।
2. पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संपूर्ण पहाड़ क्षेत्र को स्थायी रूप से "खनन मुक्त क्षेत्र" घोषित किया जाए।

यदि हमारे रोजगार और बेजुबान पशुओं के हक को छीनकर यहाँ खनन को बढ़ावा दिया गया, तो समस्त पशुपालक समाज अपने हजारों पशुओं के साथ शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए मजबूर होगा।

भवदीय,

समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य

भेड़-बकरी पालन व पारंपरिक पशुपालक संघ

ग्राम: डाबला, तहसील: पाटन, जिला: सीकर

<u>संलग्नक (दस्तावेजी साक्ष्य):</u>

जयराम सिंह
9649865100

1. ग्राम सभा डाबला द्वारा पारित आधिकारिक प्रस्ताव संख्या 04 (चारागाह संरक्षण) की प्रति।
2. नियमों की अवहेलना के कारण पूर्व में क्रेशर का कन्वर्जन रद्द किए जाने संबंधी सरकारी आदेश की प्रति।
3. माननीय एनजीटी (NGT) भोपाल का सड़क मापदंड संबंधी आदेश (दिनांक 04 अप्रैल 2016) की प्रति।
4. अरावली पर्वत श्रृंखला संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी नीतिगत परिपत्र (Circular) की प्रति।

सोंकथुन पंच प्रतिनिधि [signature]

[signature] [signature] धनश्याम
[signature] [signature] [signature]
[signature] [signature] [signature]
रामोतार [signature] Vikas
[signature] बाबूलाल सुन्दर शर्मा
[signature] Sanjeev Singh कैलाश [signature]
[signature] मिट्ठू सिंह [signature]
[signature] मिठालाल शर्मा [signature]
Singh
[signature] रमेश मीणा कैदार [signature]
[signature] शम्भू कुमावत
रामजी लाल बहादुर मीणा [signature] पंच प्रतिनिधि
[signature] धर्मपाल कुमावत
जगदीश कुमावत
राजेन्द्र सिंह कैलाश मीणा
[signature] सुमेर सिंह
दुर्गा प्रसाद कैलाश स्वामी
मदन कुमावत [signature]
[signature] राजेन्द्र कुमावत
[signature] [signature]
[signature] [signature]
[signature] [signature]
[signature] [signature]
[signature] [signature]
जितेन्द्र
कैलाश
[signature]

(4)

दिनांक 12-06-2026

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,

नीमकाथाना।

विषय :- क्वीन्स माईंस प्लाट संख्या 67 निकट ग्राम डाबला तहसील पाटन के पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि क्वीन्स माईंस के प्लाट संख्या 67 की जनसुनवाई के बाद पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है और माइन्स पर खनन कार्य चालू होता है तो ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, ग्राम का विकास होगा व सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी अतः इस पर्यावरण स्वीकृति से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी

ग्रामवासी डाबला

विक्रम सिंह s/o महावीर सिंह 9982606248
कुलदीप सिंह
मालाराम गुर्जर 8107171697
विक्रम सिंह s/o महावीर डाबला सिंह 7891579862

हजारी लाल
अमर सिंह
8000329442

अजारुद्दीन s/o जमशेद खान 7023817008
धर्मेन्द्र सिंह s/o कृपाल सिंह 8058581500
अजमाल खान 9145913695
सुरेन्द्र सिंह 9664404676
सुभाष सिंह 8504040150
भवानी सिंह s/o लक्ष्मण सिंह 8696820203

[illegible] / [illegible]

[illegible] S [illegible]

सन्तोषदेवी

रेताश वर्मा

रामसिंह → 8619278822

देवेन्द्र स्वामी 8005959600

रमेश सिंह S. मदनसिंह 9001867014

संदीप सिंह S. सुमेर सिंह

पंकज वर्मा S. प्रहलाद वर्मा 8696390545454

प्रहलाद S/O छाजु राम

सुमन - रतीराम

रीना वर्मा - प्रहलाद

राहुल 7014192386

भवानी शंकर

किशोरी लाल 9772398918

सुमन देवी +

दीपक - [illegible] 9785521220

कार्तिक वर्मा - [illegible] वर्मा - 9024286092

रिंकू वर्मा / [illegible] वर्मा 8740898641

विशाल / जय प्रकाश 9982553363

मुकेश कुमार - बिहारीलाल

सन्दीप / बनवारीलाल 9636367636

सन्दीप कुमार / मुरलीधर 7782480082

विनोद / गुरुदयाल

गुरुदयाल / [illegible] राम

(3)

ग्राम पंचायत डाबला

पंचायत समिति: नीम का थाना, जिला: सीकर (राजस्थान)

पत्रांक: गंपडा/२०२६/..........

दिनांक: 12 जून 2026

सेवा में,

1. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RPCB), जयपुर (राज.)

2. श्रीमान जिला कलेक्टर / उपखंड अधिकारी (प्रशासन),
जिला सीकर (राज.)

विषय: ग्राम पंचायत डाबला के पर्वतीय क्षेत्र में खनन कार्य हेतु पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी न करने एवं खनन पर पूर्ण रोक लगाने के बाबत।

महोदय / महोदया,

हम, ग्राम पंचायत डाबला (सीकर) के समस्त जनप्रतिनिधि (सरपंच, वार्ड पंच) एवं समस्त ग्रामवासी, आज दिनांक 12 जून 2026 को आयोजित इस विशेष ग्राम जन सुनवाई के माध्यम से प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान हमारे क्षेत्र के गंभीर पर्यावरण संकट की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

ग्राम डाबला के पहाड़ों में कुछ व्यावसायिक एवं बाहरी तत्वों द्वारा खनन कार्य शुरू करने के उद्देश्य से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC / Environmental Clearance) लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हम अत्यंत जिम्मेदारी और पुरजोर तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि **संपूर्ण ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि इस खनन प्रस्ताव का सामूहिक रूप से विरोध करते हैं।**

इस क्षेत्र में खनन कार्य की अनुमति न दिए जाने के मुख्य और अत्यंत संवेदनशील कारण निम्नलिखित हैं:

- **पर्यावरण और पारिस्थितिकी (Ecosystem) को अपूरणीय क्षति:** डाबला क्षेत्र के यह पहाड़ हमारे पर्यावरण के रक्षक और फेफड़े हैं। यहाँ खनन होने से प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव और अरावली की पहाड़ियों का मूल स्वरूप पूरी तरह नष्ट हो जाएगा।
- **जल स्तर में गिरावट और गंभीर जल संकट:** यह पर्वतीय क्षेत्र हमारे भूमिगत जल स्रोतों (Water Table) को रिचार्ज करने का मुख्य प्राकृतिक जरिया है। खनन के कारण यहाँ गहरे गड्ढे होने से वर्षा जल का प्राकृतिक बहाव रुकेगा, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के पानी का भयंकर अकाल पड़ जाएगा।
- **प्रदूषण और स्वास्थ्य पर जानलेवा प्रभाव:** खनन और क्रशरों से उड़ने वाली बारीक धूल और भारी मशीनों के धुएँ से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच जाएगा। इससे ग्रामीणों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में सिलिकोसिस, दमा, फेफड़ों का कैंसर और टीबी जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने का सीधा खतरा है।

- **भारी ब्लास्टिंग से जन-धन की हानि का भय:** पहाड़ों में खनन के लिए किए जाने वाले भारी विस्फोटों (Blasting) से उत्पन्न तीव्र कंपन के कारण ग्रामीणों के पक्के मकानों में दरारें आने और उनके ढहने का निरंतर भय बना रहेगा। इससे कभी भी बड़ी जन-धन की हानि हो सकती है।
- **कृषि और पशुपालन पर संकट:** हमारे गाँव की आजीविका पूरी तरह कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। प्रदूषण के कारण फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता खराब होगी, साथ ही मवेशियों के पारंपरिक चारागाह (गोचर भूमि) भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे।

अतः हमारी विनम्र प्रार्थना है:

ग्राम पंचायत डाबला की समस्त जनता की भावनाओं, उनके जीवन की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि रखते हुए, इस खनन परियोजना को **पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) किसी भी परिस्थिति में जारी न किया जाए।** साथ ही, भविष्य की सुरक्षा के मद्देनजर इस संपूर्ण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन आवंटन पर पूर्णतः और स्थाई रूप से रोक लगाई जाए।

यदि जनभावनाओं और जनस्वास्थ्य की अनदेखी कर किसी भी प्रकार की स्वीकृति या एनओसी दी जाती है, तो समस्त ग्रामवासी लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई का मार्ग चुनने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस न्यायसंगत मांग पर त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेंगे।

भवदीय (समस्त जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी),

(सरपंच)
ग्राम पंचायत डाबला
हस्ताक्षर एवं सील

प्रशासक
ग्राम पंचायत डाबला
प.स. पाटन (सीकर)

(उप-सरपंच)
ग्राम पंचायत डाबला
हस्ताक्षर

समस्त वार्ड पंच गण एवं प्रबुद्ध नागरिक:

अंजु कंवर अंजू कंवर
वार्ड पंच (वार्ड नं. 6.....) नाम व हस्ताक्षर

Amit अमित कुमार
वार्ड पंच (वार्ड नं. 12) नाम व हस्ताक्षर

Rahul Bhargav राहुल भार्गव
वार्ड पंच (वार्ड नं. ..9...) नाम व हस्ताक्षर

वार्ड पंच 10 नाम हस्ताक्षर
गुलाब

पंच प्रतिनिधि जितेन्द्र सिंह
प्रतिनिधि/प्रबुद्ध नागरिक हस्ताक्षर

प्रतिनिधि/प्रबुद्ध नागरिक हस्ताक्षर

प्रतिनिधि/प्रबुद्ध नागरिक हस्ताक्षर

संलग्नक: ग्राम सभा में उपस्थित एवं खनन का विरोध करने वाले समस्त ग्रामीणों की नामजद हस्ताक्षर/अंगूठा सूची।

जयपाल सिंह
दीपक सिंह
[illegible]
[illegible] पंच प्रतिनिधि
राजेन्द्र कुमार
[illegible]
[illegible]
रामोतार
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
प्रकाश मीणा
[illegible]
रामजी लाल
[illegible]
जगदीश कुमावत
राजेन्द्र सिंह
दुर्गाप्रसाद
[illegible] यादव
सुभाष
मदन कुमावत
मोहन जोगी
सुन्दर
सुमेर

[illegible]
मदनलाल
[illegible]
[illegible]
[illegible]
बाबूलाल
Sanjeev Singh.
[illegible] सिंह
मिट्टू सिंह
रमेश मीणा
बहादुर मीणा
धर्मपाल कुमावत
कैलाश [illegible]
सुमेर सिंह
कैलाश स्वामी
[illegible] शर्मा
राजेन्द्र कुमावत
[illegible] कुमावत
नरेश मीणा [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

जितेन्द्र
कैलाश
[illegible]
घनश्याम
Singh
[illegible]
[illegible]
सुन्दर शर्मा
[illegible]
[illegible]
[illegible]
कैलाश [illegible]
राजू कुमावत
दीपक मीणा

कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला, पं.स. पाटन

प्रेषक:-
प्रशासक / ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डाबला
पं.सं. पाटन, जिला सीकर (राज.)
प्रशासक
मो.9928218686

प्रेषित:-
श्रीमान्...
....
....

क्रमांक:- ग्रा.पं.डा/414

दिनांक 10/06/2026

विषय :- ग्रामसभा बैठक दिनांक 26-05-2026 के प्रस्ताव सं. 06 की सत्यप्रतिलिपि

प्रसंग :-

प्रस्ताव :-06 प्रशासक महोदय ने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 12-06-2026 को M/S वीनस माईन्स के प्लाट नं. 67 खसरा सं० 1778,795 के बारे मे जनसुनवाई की जायेगी। जिस पर सदन मे विचार-विमर्श कर निम्नांकित बिन्दुओ पर विचार किया गया

(1) खनन पट्टो के लिए कोई विधि सम्मत रास्ता नही है। नियमानुसार खनन पट्टो से मुख्य सड़क तक डामर अथवा सी.सी. सड़क होनी चाहिए पक्के रास्ते के अभाव मे बहुत अधिक मात्रा मे धुल-मिट्टी उड़ेगी जिससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जन भावना एवं पर्यावरण का ध्यान रखते हुऐ NOC जारी नही करने का निवेदन किया जाता है

(2) डाबला का पहाड़ क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इस पहाड़ और इससे लगने वाले चारागाह क्षेत्र मे ग्राम के सैकड़ो पशुपालक पशुओ को चराकर अपने परिवारो का भरण-पोषण करते है। यदि दुबारा से खनन शुरू होता है तो मवेशियो के लिए चरने हेतु जो घास फूस धुल मिट्टी से खराब हो जायेगा या नष्ट हो जायेगा जिससे पशुपालको के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जायेगा अतः इस जनभावना को ध्यान मे रखते हुऐ राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ग्राम वासियो का निवेदन है कि NOC जारी नही की जावे।

P.T.O

कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला, पं.स. पाटन

प्रेषकः-	प्रेषितः-
प्रशासक / ग्राम विकास अधिकारी	श्रीमान्..
ग्राम पंचायत डाबला	....
पं.सं. पाटन, जिला सीकर (राज.)	....
प्रशासक	
मो.9928218686	

क्रमांकः- दिनांक........................

विषय :-

प्रसंग :-

(3) 2011 मे समस्त ग्रामवासियों द्वारा चलाये गये आन्दोलन और 13 सितम्बर-2012 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से यहां खनन पूरी तरह से बन्द है। ग्राम के भोजवानों एवं सरकारी विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रति वर्ष हजारों पेड़ लगाकर देखभाल की जा रही है जिससे वन्य जीव-जन्तुओं की संख्या मे भी काफी वृद्धि हुई। अतः वन्यजीव जन्तुओं के अस्तित्व एवं ग्राम वासियों का पर्यावरण प्रति समर्पण भाव को ध्यान मे रखते हुऐ। राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से समस्त ग्रामवासियो का निवेदन है कि NOC जारी नही की जावे।

(4) खनन क्षेत्र मे रहने वाले लोगों मे प्रदुषण फैलने से सिलिकोसिस टी.बी. जैसे बिमारियो के मरीजो की संख्या काफी पाई जाती है। अतः यदि यहा भी दुबारा से खनन शुरू हुआ तो खनन से होने वाले प्रदुषण से ग्राम वासियो के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा अतः ग्राम वासियो के स्वास्थ्य की भावना को ध्यान मे रखते हुए राजस्थान प्रदुषण बोर्ड से निवेदन है कि NOC जारी नही की जावे।

(5) डाबला ग्राम पहाड़ी की तलहटी मे बसा हुआ है। खनन शुरू होने से खनन के लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग से ग्राम वासियों के घरो मे दरारे आने का खतरा सदैव बना रहेगा और ग्राम वासियो को डर के साये मे जीने को मजबूर होना पड़ेगा। अतः खनन शुरू होने से ग्राम वासियो का जीवन पड़ने वाले खतरो को ध्यान मे रखते हुऐ। राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से निवेदन है कि ग्राम वासियो की जनभावना को ध्यान मे रखते हुए NOC जारी नही की जावे।

P.T.O.

कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला, पं.स. पाटन

प्रेषकः-	प्रेषितः-
प्रशासक / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डाबला पं.सं. पाटन, जिला सीकर (राज.) प्रशासक मो.9928218686	श्रीमान्... ....

क्रमांकः-

दिनांक..

विषय :-

प्रसंग :-

(6) पूर्व में खनन के विरोध मे ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन किया गया था जिस पर श्रीमान जिला ~~कलेक्टर~~ कलेक्टर महोदय सीकर के आदेश पर ~~देशो~~ की आबादी क्षेत्र से तय मापदण्ड अनुसार दूरी की माप हुई थी जो निर्धारित दूरी से कम पाई गई थी जिसके बाद खनन कन्वर्जन निरस्त कर दिया गया ~~था~~ था। डाबला पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। अतः यह अरांवली पर्वत श्रृंखला मे आता है उपरोक्त बिन्दुओ पर सदन मे बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लेकर प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत–डाबला
पं०स० पाटन जिला–~~नीमकाथाना~~ सीकर

प्रशासक
ग्राम पंचायत डाबला

कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक /राजस्व/2011 दिनांक मई, 2011

आदेश

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.04.2011 की जानकारी होने पर उसके परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ–7(42)/रास्ता/भू.आ./राजस्व/11/3525 दिनांक 1.5.2011, जिसके द्वारा ग्राम डाबला के ख.नं. 1389 रकबा 10.74 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर, ख.नं.1390 रकबा 6.78 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर एवं ख.नं. 1391 रकबा 5.21 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 22.73 हैक्टर किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.82 है. रकबा सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजन से भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित किया गया, को एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

Sd—
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक 5001-5008/राजस्व/2011 दिनांक 11 मई, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग एवं प्रभारी सचिव जिला सीकर (राजस्थान)
2. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा कलेक्ट्रेट, सीकर।
4. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना।
5. तहसीलदार, नीमकाथाना।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमकाथाना।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत डाबला पं.स. नीमकाथाना।
8. रक्षी पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी,
राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर
(ऑफ. जिला कलक्टर, सीकर)

SL01RW

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–3)विभाग

क्रमांक प02(643)राज–3 / 12 जयपुर, दिनांक 13.9.2013

जिला कलक्टर,
सीकर।

विषय–एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7140 / 2011 सुनिल मून्दड़ा बनाम राज0राज्य व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में माननीय न्यायालये द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2012 की पालना करने के संबंध में।

संदर्भ–आपका पत्र क्रमांक राजस्व / 2012 / 7017 दिनांक 28.9.2012 एवं पत्र क्रमांक 6742 / राजस्व / 13 दिनांक 6.9.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि ग्राम डाबला में स्थित चारागाह भूमि खसरा नं0 1389, 1390 एवं 1391 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन किये जा[illegible] बाबत आपने संदर्भित पत्र दिनांक 6.9.2013 द्वारा अवगत कराया है कि [illegible] के परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6 / 2001 / 7 दिनांक 25.4.2011 के प्र[illegible]नुसार उक्त चारागाह भूमि में से वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में और [illegible]जनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आवंटन किया जाने बाबत कोई अतिआवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं है। इस रास्ते में कोई जनहित नहीं है तथा अत्यावश्यक भी नहीं है।

अतः आपके प्रस्तावानुसार ग्राम डाबला में स्थित चारागाह [illegible] खसरा नं. [illegible] 1390 एवं 1391 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन किये [illegible] प्रस्ताव अ[illegible] किया जाता है।

आपके कार्यालय की मूल पत्रावली संलग्न प्रे[illegible]।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

प्रमाणित प्रतिलिपि

भवदीय,

शासन–उप सचिव

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (सीकर)

कमांक 16/ 4181 /राजस्व/2013 दिनांक 4/9/13

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

सीकर ।

विषयः–एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 7140/11 सुनिल मूंदडा बनाम राज.राज्य व अन्य मा. राज. उच्च न्यायालय,जयपुर में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.9.2012 की पालना के संबंध में ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 6048 /राजस्व/2013 दिनांक 26.8.13

महोदय,

प्रसांगिक विषय में निवेदन है कि आपका पत्रांक 4208/राजस्व/2013 दिनांक 9.5.2013 की पालना में कार्यालय द्वारा संबंधित सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं सरपंच ग्राम पंचायत डाबला,विकास अधिकारी पंचायत समिति,नीमकाथाना, परिवहन निरीक्षक परिवहन विभाग नीमकाथाना से स्पष्ट प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया था । ग्राम डाबला की तन में स्थित चारागाह भूमि ख.नं. 1389,1390 व 1391 में से होकर आम रास्ते बाबत कोई स्पष्ट प्रस्ताव एवं आम रास्ते बाबत कोई प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

राज्य सरकार के परिपत्र कमांकःएफ.10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.4.2011 के प्रावधानानुसार उक्त चारागाह भूमि में से वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आवंटन किया जाने बाबत कोई अति आवश्यक परिस्थितियॉं उपलब्ध नहीं है ।

उक्त रास्ता केवल कुछ स्टोन केशर मालिकों द्वारा मांगा जा रहा है । इस रास्ते में कोई जनहित नहीं है तथा अत्यावश्यक भी नहीं है । यदि चारागाह भूमि में से वर्तमान में कोई रास्ता दिया जाता है तो गॉव में असन्तोष व्याप्त होकर शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा रहेगा । इससे पूर्व भी आपकी सेवामें पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । पुनः फोटो प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।

स्पष्ट रिपोर्ट सादर प्रेषित है ।

उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

Re.1 INDIA ONE RUPEE COPYING FEES ONLY

Re.1 INDIA ONE RUPEE COPYING FEES ONLY

कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला, पंचायत समिति पाटन

प्रेषक :-

सरपचं /सचिव

ग्राम पंचायत, डाबला

पं.सं.-पाटन,जिला-सीकर (राज.)

सागर मल यादव (सरपंच)

मो.- 9928218686

सत्यमेव जयते

प्रेषित :-

श्रीमान्...

....

....

क्रमांक :-

विषय:-

दिनांक :- 27.09.2021

प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि

पंचायत बैठक प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 5/8/2021 बैठक में सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री रवीन्द्रप्रसाद शर्मा निवासी डाबला ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम के चारागाह भूमि का बचाव किया जावे एवम् मार्गनिर्देश बाबत चारागाह भूमि के रास्ते नहीं दिया जावे इस सम्बन्ध में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला D.B.B का फैसला भी चारागाह भूमि के पक्ष में रहा है। इसमें जनहित का किसी प्रकार का मामला रुक में नहीं जिससे जनता इस पर बैठक में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा इसका सर्व सम्मति से अनुमोदन किया

[illegible] सागरमल

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना, ज़िला–सीकर

क्रमांक: /पी.ए/2011 दिनांक:–

कार्यालय आदेश

आज दिनांक 13.05.2011 को एक बैठक का आयोजन आपसी वार्ता के लिये उपखण्ड कार्यालय में रखी गयी। जिसमें प्रशासन की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता, तहसीलदार एवं थानाधिकारी नीमकाथाना मौजूद थे। डाबला आंदोलन के संबंध उनके प्रतिनिधि मण्डल में श्री रामोतार लाम्बा, श्री ओमप्रकाश यादव, श्री सुभाष नेहरा, श्री हरिराम गुरावा, श्री मन्नाराम सैनी, श्री हनुमान जाट आदि कई लोग मौजूद रहे। इनकी ओर से यह पूर्णत आश्वस्त किया गया कि गाँव डाबला में पूर्णत शांति व्यवस्था बनाये रखी जायेगी। जॉच रिपोर्ट आने तक खनन एवं क्रेशर कार्य चारागाह भूमि स्थित डाबला में किसी प्रकार के खड्डे, पत्थर डालकर रूकावट नहीं डाली जायेगी अर्थात यथास्थिति बनाये रखी जायेगी। श्री आर. सी. गुप्ता ने वार्ता के दौरान स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि जब तक जयपुर/अजमेर से जो टीम आयी थी उसकी जॉच रिपोर्ट नहीं आ जाती केशर तथा माईन्स डाबला में पूर्णत बन्द रहेगें तथा वाहनों से इनके माल का आवागमन भी बंद रहेगा। डाबला में गंगरेड़ा में चारागाह भूमि में लगायी गयी फोर्स उक्त पदाधिकारियों के कानून व्यवस्था बनाये जाने के आश्वासन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुमोदन की शर्त पर लगायी गयी पुलिस फोर्स अविलम्ब हटायी जाती है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

क्रमांक:– 6542-45/पी.ए./2011 दिनांक:– 13-05-2011

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सीकर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नीमकाथा

158

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक- प 6(260)राज-3/2021 जयपुर, दिनांक- 18/8/[illegible]

जिला कलक्टर,
सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम धाबला तहसील नीमकाथाना में [illegible] शाला हेतु भूमि आवंटन करने के क्रम में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक:1415 दिनांक 27.07.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में चारागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने के संबंध मे विभाग द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अनिल मेहता से विधिक राय प्राप्त की गई। प्राप्त विधिक राय अनुसार संस्थागत प्रयोजन/खातेदार को संपरिवर्तित/संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर चारागाह भूमि में से पहुँच मार्ग दिया जाना विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष में जनहित मे विधिसम्मत नहीं माना है। अतः उक्त क्रम मे आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव निरस्त कर लौटाया जा रहा है।

संलग्न:- जिला कार्यालय की मूल पत्रावली।

भवदीय,

(एस. एल. स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

L92

राज0सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

कमांकः–राजस्व / पी0ए0 / 811 दिनांकः–4.6.2013

जिला कलक्टर महोदय,
सीकर।

विषयः– एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7140 / 2011 सुनिल मूंदडा बनाम राज0राज्य व अन्य पारित आदेश दिनांक 13.9.2012 की पालना के संबंध में
संदर्भः– आपका पत्रांक:4208 / राजस्व / 2013, दिनांक 09.5.2013 के संबंध में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में प्रासांगिक पत्र द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि संबंधित सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुये स्पष्ट प्रस्ताव भिजवावें।

इस संबंध में निवेदन है कि संबंधित ग्राम पंचायत डाबला को पत्र कमांकः 767 दिनांक 16.5.2013 के द्वारा रास्ते के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत /प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था किन्तु ग्रामपंचायत से आदिनांक तक कोई अभिमत / प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। डाबला की तन में स्थित चारागाह भूमि ख0नं0 1389,1390 व 1391में से होकर आम रास्ते बावत कोई प्रार्थना पत्र भी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी निवेदन है कि वर्तमान में जनहित और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते बावत कोई प्रार्थना पत्र भी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य सरकार के परिपत्र कमांकःएफ.10(3)राज–6 / 2001 / 7 दिनांक 25.4.2011के प्रावधानानुसार उक्त चारागाह भूमि में से वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आंबटन किया जाने बावत कोई अति आवश्यक परिस्थितियॉ उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना।

प्रमाणित प्रतिलिपि

नोटेरी पब्लिक
...

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (सीकर)

कमांक 16/418 /राजस्व/2013 दिनांक 4/9/13

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

सीकर ।

विषयः–एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 7140/11 सुनिल मूंदडा बनाम राज.राज्य व अन्य मा. राज. उच्च न्यायालय,जयपुर में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.9.2012 की पालना के संबंध में ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 6048 /राजस्व/2013 दिनांक 26.8.13

महोदय,

प्रसांगिक विषय में निवेदन है कि आपका पत्रांक 4208/राजस्व/2013 दिनांक 9.5.2013 की पालना में कार्यालय द्वारा संबंधित सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं सरपंच ग्राम पंचायत डाबला,विकास अधिकारी पंचायत समिति,नीमकाथाना, परिवहन निरीक्षक परिवहन विभाग नीमकाथाना से स्पष्ट प्रस्तावं भिजवाने हेतु लिखा गया था । ग्राम डाबला की तन में स्थित चारागाह भूमि ख.नं. 1389,1390 व 1391 में से होकर आम रास्ते बाबत कोई स्पष्ट प्रस्ताव एवं आम रास्ते बाबत कोई प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

राज्य सरकार के परिपत्र कमांकःएफ.10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.4.2011 के प्रावधानानुसार उक्त चारागाह भूमि में से वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आवंटन किया जाने बाबत कोई अति आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं है ।

उक्त रास्ता केवल कुछ स्टोन केशर मालिकों द्वारा मांगा जा रहा है । इस रास्ते में कोई जनहित नहीं है तथा अत्यावश्यक भी नहीं है । यदि चारागाह भूमि में से वर्तमान में कोई रास्ता दिया जाता है तो गॉव में असन्तोष व्याप्त होकर शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा रहेगा । इससे पूर्व भी आपकी सेवामें पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । पुनः फोटो प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।

स्पष्ट रिपोर्ट सादर प्रेषित है ।

उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

र्यालय ग्राम पंचायत डाबला,पंचायत समिति पाटन

प्रेषक :-
सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत,डाबला
पं.सं.- पाटन,जिला - सीकर (राज.)
सागर मल यादव (सरपंच)
मो.- 9928218686

सत्यमेव जयते

प्रेषित :-
श्रीमान् ____________________

क्रमांक :- 87

दिनांक 13-06-2022

विषय :- बैठक दिनांक 06.06.2022 के प्रस्ताव संख्या 04 की सत्यप्रतिलिपि

——— x ——— x ———

बैठक में समस्त वार्डपंचगण ग्राम पंचायत डाबला ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि राजस्व ग्राम डाबला में आवंटित खनन खानों के पट्टे निरस्त करवाने बाबत। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि ग्रामवासियों के जनहित को देखते हुए सभी आवंटित खानों को निरस्त किया जावे इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित

सागरमल

सरपंच
ग्राम पंचायत डाबला
पं. स. पाटन सीकर (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (सीकर)

क्रमाक 161 / 18 / राजस्व / 2013 दिनांक 4/9/13

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

सीकर ।

विषय–एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 7140/11 सुनिल मूंदड़ा बनाम राज.राज्य व अन्य मा. राज. उच्च न्यायालय,जयपुर में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.9.2012 की पालना के संबंध में ।

प्रसंग:– आपका पत्रांक 6048 /राजस्व/2013 दिनांक 26.8.13

महोदय,

प्रसंगिक विषय में निवेदन है कि आपका पत्रांक 4208/राजस्व/2013 दिनांक 9.5.2013 की पालना में कार्यालय द्वारा संबंधित सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं सरपंच ग्राम पंचायत डाबला,विकास अधिकारी पंचायत समिति,नीमकाथाना, परिवहन निरीक्षक परिवहन विभाग नीमकाथाना से स्पष्ट प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया था । ग्राम डाबला की तन में स्थित चारागाह भूमि ख.नं. 1389,1390 व 1391 में से होकर आम रास्ते बाबत कोई स्पष्ट प्रस्ताव एवं आम रास्ते बाबत कोई प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.4.2011 के प्रावधानानुसार उक्त चारागाह भूमि में से वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आवंटन किया जाने बाबत कोई अति आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है ।

उक्त रास्ता केवल कुछ स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा मांगा जा रहा है । इस रास्ते में कोई जनहित नहीं है तथा अत्यावश्यक भी नहीं है । यदि चारागाह भूमि में से वर्तमान में कोई रास्ता दिया जाता है तो गॉव में असन्तोष व्याप्त होकर शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा रहेगा । इससे पूर्व भी आपकी सेवामें पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । पुनः फोटो प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।

स्पष्ट रिपोर्ट सादर प्रेषित है ।

उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

प्रमाणित प्रतिलिपि

5/9/13

Very expedite

5/9/13

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

Original Application No. 125/2013 (THC) (CZ)
Villagers of the Village Patanwati Vs. State of Rajasthan & Ors.
and
M.A. No. 850/2015, 856/2015, 857/2015,18/2016,163/2016 & 164/2016

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE DALIP SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE Dr. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER

PRESENT :

Applicant :	None
State of Raj./RSPCB :	Shri Sandeep Singh, Advocate
Respondent No. 5 to 8 :	Shri Arvind Soni, Advcate
Sita Ram Infrastructure :	Dr. M.S. Kachhawa, Adv.
	Shri Gyanendra Singh
Mining Department :	Shri Chetram Meena
Respondent No. 9 to 14 :	Shri Yogesh Bhatnagar,Advocate
Interveners :	Shri M.K. Meena,Advocate
	Shri Siddharth Singh, Advocate
	Shri Rohit Sharma, Advocate

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 06 4th April, 2016	Heard the Learned Counsel for the parties. M.A. No. 850/2015, 856/2015 & 857/2015 pertain to Original Application No. 04/2013. Registry is directed to place the same on the record of the concerned file. This Original Application No. 04/2013 has already been disposed of as such these M.As. stand disposed of. Copy of this order be placed on in Original Application No. 04/2013. M.A. No. 18/2016 has already been discussed in order dtd. 11.01.2016. The same is directed to be treated as disposed of. **M.A. No. 163/2016 & 164/2016** M.A. No. 163/2016 has been filed on behalf of Maa Sherawali Stone Crusher & M.A. No. 164/2016 has been filed on behalf of the Respondent No.5 to 8. The prayer is common for taking on record the google map and document filed along with the same. Copy of the same has been furnished to the

Learned Counsel for the State. He has no objection to the same and the documents are taken on record. Both M.As No. 163/2016 & 164/2016 accordingly stand disposed of.

Compliance report has been filed. The same is ordered to be taken on record. Having heard the Learned Counsel for the parties and having considered the entire facts and circumstances, in so far as the issue with regard to road leading from the mines to the stone crushers and stone crushers to the District road, we direct that the lease holders and the owners of the stone crusher units shall be directed by the State to deposit the amount for construction of the road which is the condition under the EC granted to each one of them and for this purpose they shall be directed to deposit the amount within a month from today @ of Rs. 4,00,000/- per 100 meter. As it is given out by all the parties that as per the norms fixed by the State the cost of construction of the road is Rs. 40,00,000/- (forty lakhs) per kilometre. Accordingly, the Mining Department of the State shall calculate the amount to be deposited by each of the parties based upon the length of the road. If this amount is not deposited by 05.05.2016 the Mining Department, the RSPCB and the State Revenue Officials shall take immediate steps for the closure of the operation of the mines and stone crusher.

In addition to the above, it is further directed that particularly since there is no adequate compliance of the creation and maintenance of the green belt by both mining lease holders and as well as by the owners of the stone crushers, the District Collector shall identify the revenue lands, *Banzar / Pahad* which are not suitable and not being utilised at present

for agricultural purposes for creation of village forest in consultation with the officials of the Forest Department as also the representative of the *Gran Panchayat* in whose jurisdiction such areas may be falling for the purposes of improvement of the green belt as also grazing land / charagah land. The District Collector in consultation with the Forest Department shall carry out the aforesaid task and constitute if not already constituted Village Forest Management Committee and once the plantation with adequate number of local species has been carried out the task of management and the maintenance and survival of the trees shall be entrusted to said Village Forest Management Committee. For this purpose the cost of providing saplings, digging of the soil, watering and other needs shall also be proportionately worked out and recovered and asked to be deposited by the District Collector from the owners of the mines as well as the stone crushers.

In the plan that has been submitted before us by the owners of the stone crushers for giving the length of the road for construction and the google sheets thereof, it is further directed that while they have only proposed avenue plantation along the road to be constructed they shall also provide necessary assistance financially and for maintenance and survival of avenue plantation along the major district road in the area. The length of such major district road to be covered in the aforesaid shall be worked out by the District Collector in consultation with the Public Works Department. Since the survival of the trees to be planted is of utmost importance a scheme for the same by way of protection of the planted saplings and for

adequate watering in the dry season shall be worked out and same shall be carried for the next 5 years so as to ensure their survival and growth. For compliance of the above, notice shall be given by the Mines Department, the District Collector and the Forest Department to the owners of the Mines & Stone Crushers. It has been submitted that nearly 340 lessees have already been issued notices and in case of such persons to whom notices have not been issued so far, the same shall be issued immediately by the concerned authority. It shall be the responsibility of the District Collector to ensure the compliance of the above order with the responsibility assigned for each of the stakeholders, State participants and owners of the Stone Crushers and Mining Lease Holders. We may add that this has become all the more necessary because mining operations to a large extent have been going on along with the stone crusher units for more than 10 years and no adequate measures were being taken for protection of the environment which has already in our opinion been deteriorated to a considerable extent and steps for restoration of the same have become imperative.

Let the matter be listed on 16th May, 2016.

....,JM
(DALIP SINGH)

....,EM
(Dr. S.S.GARBYAL)

7140 | 2011

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

O R D E R

(1) D.B. PIL PETITION NO.7114/2011
MAHENDRA SINGH vs. THE STATE OF RAJASTHAN & ORS.
&
(2) D.B. CIVIL WRIT PETITION NO.7140/2011
SUNIL MUNDHRA vs. THE STATE OF RAJASTHAN & ORS.

DATE: 13.09.2012

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE MR. ARUN MISHRA
HON'BLE MR. JUSTICE NARENDRA KUMAR JAIN-I

Mr. R.P. Garg,
Mr. S.K. Gupta with
Mr. Vikram Singh Shekhawat,
Mr. Rahul Sharma and
Mr. Ravindra Singh, for the petitioners.

Mr. Jinesh Jain, Government Counsel,
Mr. Zakir Hussain, Additional Government Counsel,
Mr. Akhil Simlote and
Mr. Ajay Kumar Jain, for the respondents.

Mr. R.N. Mathur, Senior Counsel assisted by
Mr. Vikas Jakhar and
Mr. Dharmendra Barala, for the applicants.

****

Heard finally with the consent of learned counsel for the parties.

In Public Interest Litigation Petition No.7114/2011, prayer has been made to the effect that respondents be directed to stop mining operations by way of heavy blasting material in Khasra No.1368/1, 1379/1380, 1381 and 1382, situated at Village Dabla, Tehsil Neem-Ka-Thana, District Sikar. Prayer has also been made to direct the respondents to remove encroachments from Khasra No.1389, 1390 and 1391 and from water harvesting structure. Prayer has also been

made to stop the operations of crushers, which are situated at nearby village Dabla within the prescribed distance of 1.5 km. Further prayer has been made to restrain the respondents from destroying plantation which has been made in 500 hectares.

Petitioner has submitted that the State Government has allotted about 24-25 minings leases for excavation of masonry stones in the year 2007-08. Earlier, mine holders were excavating the masonry stones by making small holes, which were not causing loss to the public at large, but now allottees of mines are making big holes and are using heavy blasting material, which is not within the permissible limits and resulting in spreading of stones in large distance as well as making noise and air pollution, causing danger to the lives of villagers also, situated in nearby village. Financial aid has been provided by the Central Government for development of 'Charagah' land and water harvesting structures to the tune of Rs.24.50 lacs and in 500 hectares of land, plantation has been made, which is also nearby mining areas.

It is also averred in the petition that 5 big crusher machines have also been installed by the lease holders, causing air and noise pollution. Mining operations are also causing cracks in number of houses of residents of Village Dabla. The Secretary, Panchayati Raj, vide order dated 24.03.2011, directed the Chief Executive Officer, Zila Parishad to remove encroachments and to prepare plans so as to prevent encroachments in future on Charagah land and water harvesting structures. In compliance thereof, orders were

issued by the Development Officer Panchayat Samiti Neem-Ka-Thana, on 29.04.2011 to remove encroachments from the 'Charagah' land. However, encroachments were not removed, as [illegible] representation was filed pointing out air, noise pollution and illegal blasting. Dharnas were also conducted, but appropriate action was not taken, hence, petitions have been preferred.

In the return, filed by the State Government, it is contended that main grievance was with respect to 'Charagah' land and way made out of 'Charagah' land in order to reach to the mining area and crushers. Considering the objections raised, order dated 01.05.2011 passed by the Collector, Sikar, opening the way, was recalled by the Collector on 11.05.2011. With respect to impermissible blasting, assurance was given by the Deputy Director of Mining Safety, Ajmer to make investigation and take requisite steps to ensure the blasting within the permissible limits. With respect to pollution, assurance has been given by Rajasthan State Pollution Control Board to take appropriate steps.

However, order of withdrawal, which was passed by the Collector, Sikar on 11.05.2011, has been questioned before the Single Bench in Civil Writ Petition No.7140/2011, filed by petitioner Sunil Mundhra, which is also being decided by this common order, in which interim stay was granted and operation of the order dated 11.05.2011, recalling earlier order dated 01.05.2011, has been stayed.

The Rajasthan State Pollution Control Board has also taken action of closure of 5 crushers i.e. M/s NECC Grit

Udyog, M/s Surya Minetech Pvt. Ltd., M/s Janvi Infratech Pvt. Ltd., M/s Jai Laxmi Industries and M/s Shiv Ganga Associates, and they were closed with effect from 27.07.2011. Only 8 mining holders were having permission of deep hole blasting, however, not at permissible limits. Danger zone is within 300 meters, whereas distance of mines from Abadi area is 1000 meters. In substantive, stand of the State Government is that requisite steps have been taken.

Respondent, Rajasthan State Pollution Control Board has also filed return, stating therein that initially under wrong impression as to distance and on the basis of misrepresentation of facts, earlier permission was accorded to certain industries, they were closed, restarted and thereafter now fresh show cause notices have been issued on 04.07.2012 and 05.07.2012 to five crushing units for closing operations as they are running within the prohibited zone. As per Rajasthan State Pollution Control Board, final decision is to be taken by it, after hearing the concerned crushing units. Stand of the Pollution Control Board is that crushers are running at the distances, which are not permissible.

Application(I.A. No.4353/2012) for impleadment has been filed on behalf of applicants N.E.C.C. Grit Udyog and Shiv Ganga Associates, contending therein that they are running crushers and they have received show cause notices from the Rajasthan State Pollution Control Board for closure of their operations. Earlier closure was ordered, but thereafter the Pollution Control Board has withdrawn the order and now again fresh show cause notices have been issued as earlier

order was passed on the basis of misrepresentation as to the distance, as per the stand of the Pollution Control Board.

It is submitted by Shri R.N. Mathur, learned Senior Counsel appearing with Shri Vikas Jakhar and Shri Dharmendra [illegible] on behalf of the applicants N.E.C.C. Grit Udyog and Shri Ganga Associates, that notices which have been issued by the Rajasthan State Pollution Control Board, are based on incorrect facts.

In Civil Writ Petition No.7140/2011, filed by petitioner Sunil Mundhra, prayer has been made for quashment of the order dated 11.05.2011 passed by the Collector, Sikar, recalling the earlier order dated 01.05.2011. Prayer has also been made that it be declared that way in question is a public way and no obstruction can be created on the use of such a public way. It is also submitted that Gram Panchayat has agreed on 19.04.2011 for taking out way/public way from the aforesaid 'Charagah' land. However, fact remains that the State Government has issued Circular on 25.04.2011, filed as Annexure-14 with the writ petition, in which the State Government has issued certain directives.

In the Circular dated 25.04.2011, issued pursuant to the decision of Hon'ble Supreme Court in the case of **Jagpal Singh & Ors., Vs. State of Punjab & Ors.(Civil Appeal No.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011), decided on 28.01.2011, {2011(1) Supreme 641}**, it has been mentioned that with respect to 'Charagah' land, all earlier orders/circulars issued for allotment, regularisation, mining and for any other purposes, are stayed till further orders and

in the public interest, it becomes necessary to allot the 'Charagah' land to be used for some other purposes, the Collector after giving reasons, shall send proposal with its recommendations to the State Government and after getting [illegible] from the State Government, nature of 'Charagah' land can be changed. The Circular dated 25.04.2011 reads as:-

सर्वोच्च न्यायालय निर्णय - अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: एफ 10(3)राज-6/2001/7 जयपुर, दिनांक 25/04/2011

निमित्त
जिला कलेक्टर्स (समस्त)

परिपत्र

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 1132/2011 @ SLP (C) No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-01-2011 में चरागाह भूमियों/जोहड़ पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये दी गयी भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार जिला कलेक्टर को 4 हेक्टेयर तक चरागाह भूमि कृषि व अन्य प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत से सलाह करके मूल्यांकन में परिवर्तन एवं आवंटन करने अथवा धारा 92 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अलग (set apart) करने का अधिकार है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28-01-2011 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चरागाह भूमियों/जोहड़ पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों का निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे।

अतः निर्देशानुसार चरागाह भूमियों के आवंटन, नियमन, खनन एवं अन्य प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने आदि के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों/परिपत्रों आदि के अतिक्रमण में चरागाह भूमियों के निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटन एवं नियमन पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी जाती है। अगर किसी प्रकरण में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरागाह भूमि का आवंटन किया जाना अत्यावश्यक हो तो जिला कलेक्टर द्वारा कारण अंकित करते हुए अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावेगा और राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद ही ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन किया जा सकेगा।

एसडी/-
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1 निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय/राजस्व मंत्री महोदय/ राजस्व राज्य मंत्री महोदय।

[illegible]

[illegible], प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।

[illegible] आयुक्त [illegible]

4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

5. समस्त प्रशासन सचिवगण, राजस्व विभाग।

6. गार्ड फाइल।

एस.डी/-

उप शासन सचिव

We have heard learned counsel for the parties at length.

It was submitted by Shri R.P. Garg, Counsel appearing on behalf of petitioner in Public Interest Litigation Petition, that though earlier crusher machines were closed and their operation was stopped, reopened, now on fresh show cuase notice no final decision has been taken by the Rajasthan State Pollution Control Board and the crushers are running within the periphery of 1 km. of the village, whereas crushers are prohibited within the periphery of 1.5 km. of the Abadi area. Thus, crushers cannot be allowed to run. He has submitted that deep hole blasting of impermissible limits is also being done, which is not permissible.

It was also submitted by the learned counsel Shri Garg that order passed by the Collector on 01.05.2011, carving out the way out of 'Charagah' land for reaching to the mining area and crushers, was illegal and impermissible as power was taken away from the Collector to pass any such order without prior approval of the State Government, as mentioned in the Circular dated 25.04.2011. Thus, Collector, Sikar had rightly recalled its earlier order dated 01.05.2011, vide order dated 11.05.2011. However, under the guise of interim order, as operation of the order dated 11.05.2011

passed by the District Collector, Sikar has been stayed by the Single Bench, 'Charagah' land is being destroyed and illegal mining is also taking place, contrary to the directions issued by the State Government.

Shri [illegible] Hussain, Additional Government Counsel, appearing on behalf of the State, has submitted that the State Government has taken requisite steps and also issued directions to the concerned authorities. Collector has also written to the Rajasthan State Pollution Control Board to take requisite steps to stop crushers and the Collector has also rightly passed the order dated 11.05.2011, in view of Circular dated 25.04.2011, no such order could have been passed by the Collector, Sikar, as passed on 01.05.2011.

Shri Akhil Simlote, Counsel appearing on behalf of respondent-Rajasthan State Pollution Control Board, has submitted that earlier closure was ordered of 5 crushers, but the same was withdrawn, which was based on misrepresention of facts. Now after receipt of communication from the Collector, steps are being taken for closure of the crushers and show cause notices have also been issued. Final decision is pending consideration, that is to be taken by the Rajasthan State Pollution Control Board. As per the stand of Pollution Control Board, crushers are running within the prohibited area/ distance.

Shri R.N. Mathur, Senior Counsel appearing on behalf of applicants, N.E.C.C. Grit Udyog and Shiv Ganga Associates, has submitted that the Rajasthan State Pollution Control Board has illegally issued the show cause notices as

earlier closure was ordered, which was withdrawn and crushers of the applicants are not running in the prohibited area. The distance is as per norms for running of such crushers.

Shri S.K. Gupta, Counsel appearing on behalf of petitioner in Civil Writ Petition No.7140/2011, filed by Sumit Mundhra, has submitted that Collector is having power under Rule 7 of the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 (hereinafter referred to as 'the Rules of 1955') to order conversion of 'Charagah' land for the purpose of public way and as such order was passed under Rule 7 of the Rules of 1955.

In the alternative, submission of Shri Gupta is that if prior approval of the State Government is required, as per Circular dated 25.04.2011, let the State Government consider the matter for grant of approval, in an objective manner. He has also submitted that way in question was in existence from the earlier point of time and it was for public good that same way has been recognized, while passing the order dated 01.05.2011 by the Collector, Sikar.

Shri Zakir Hussain, Additional Government Counsel has contested the case on behalf of the State Government and submitted that order passed by the Collector, Sikar on 11.05.2011 is appropriate as without prior approval of the State Government, Collector was not competent to pass the order dated 01.05.2011. As such, he reiterated that the order passed by the Collector, Sikar on 11.05.2011 is appropriate.

Before proceeding further, it is worthwhile to

mention here that in the present scenario, the ecological imbalances and the consequent environmental damage has become alarming due to reckless mining operations. Protection of ecology, flora and fauna is necessary for human existence. There is great and urgent necessity to preserve ecology. There are complaints in Rajasthan that mining has become a menace. The scale of injustice occurring in Indian soil is catastrophic. In this scenario, in a large number of cases, the Apex Court intervened in the matter and issued directions from time to time in public interest to protect and preserve forest cover, ecology, environment, wildlife etc. from ill effects of mining.

Development has to be sustainable and precautionary. In ***T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India & Ors.,*** **((2002) 10 SCC 606)**, the Apex Court has observed that at global level, the right to live is now recognized as a fundamental right to an **environment adequate for health and well being of human beings.** There is increase in awareness of the compelling need to restore the serious ecological imbalances introduced by the depredations inflicted on nature by man. There may be boundless progress scientifically which may ultimately lead to destruction of man's valued position in life. The Constitution has laid the foundation of Articles 48A and 51A for a jurisprudence of environmental protection. Today, the State and the citizen are under a fundamental obligation to protect and improve the environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures. Duty is cast upon the

Government under Art. [illegible] to protect the environment and the two salutary principles which govern the law of environment are: (i) the principles of sustainable development, and [illegible]

[illegible] ***T.N. Godavarman Thirumulpad (104) Vs. Union of India & Ors. (2008) 2 SCC 222)***, the Apex Court held that adherence to the principle of sustainable development is now a constitutional requirement. It is the duty of the State under the Constitution to devise and implement a coherent and coordinated programme to meet its obligation of sustainable development based on inter-generational equity.

In ***Intellectuals Forum, Tirupathi Vs. State of A.P. & Ors.(AIR 2006 SC 1350)***, the Apex Court has held that there is a responsibility bestowed upon the Government to protect the important part of the environment of the area. The apex court has thus laid down:

> "67. The responsibility of the state to protect the environment is now a well-accepted notion in all countries. It is this notion that, in international law, gave rise to the principle of "state responsibility" for pollution emanating within one's own territories [Corfu Channel Case, ICJ Reports (1949) 4]. This responsibility is clearly enunciated in the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 (Stockholm Convention), to which India was a party. The relevant Clause of this Declaration in the present context is Paragraph 2, which states:
>
> The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.

Thus, there is no doubt about the fact that there is a responsibility bestowed upon the Government to protect and preserve the [illegible], which are an important part of the environment of the [illegible].

[illegible]nable De[illegible]lopment

[illegible] The respondents [illegible] have taken the plea that the actions taken by the Government were in pursuance of urgent needs of development. The debate between the developmental and economic needs and that of the environment is an enduring one, since if environment is destroyed for any purpose without a compelling developmental cause, it will most probably run foul of the executive and judicial safeguards. However, this Court has often faced situations where the needs of environmental protection have been pitched against the demands of economic development. In response to this difficulty, policy makers and judicial bodies across the world have produced the concept of "sustainable development". This concept, as defined in the 1987 report of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Report) defines it as "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs". Returning to the Stockholm Convention, a support of such a notion can be found in Paragraph 13, which states:

> In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population.

Subsequently the Rio Declaration on Environment and Development, passed during the Earth Summit at 1992, to which also India is a party, adopts the notion of sustainable development. Principle 4 of the declaration states:

> In order to achieve sustainable development, environmental protection shall

[illegible] of the development process and cannot be considered in isolation from it.

In light of the above discussions, it [illegible] asserting an [illegible] enough [illegible] resources, and this Court [illegible] is a [illegible] development and [illegible] balance between the developmental needs [illegible] and the environmental degradation, that the appellants allege."

In **Susetha V/s State of T.N. & ors. (2006(6) SCC 543)**, the Apex Court observed that the doctrine of sustainable development although is not an empty slogan, it is required to be implemented taking a pragmatic view and not on ipse dixit of the court.

In **Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd. v/s. Bombay Environmental Action Group and Ors. (AIR 2006 SC 1489)**, the Apex Court has held that whereas need to protect the environment is a priority, it is also necessary to promote development. The Apex Court has laid down thus:

> ...The harmonization of the two needs has led to the concept of sustainable development, so much so that it has become the most significant and focal point of environmental legislation and judicial decisions relating to the same. Sustainable development, simply put, is a process in which development can be sustained over generations. Brundtland Report defines 'sustainable development' as development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Making the concept of sustainable development operational for public policies raises important challenges that involve complex synergies and trade offs........
>
> The development of the doctrine of sustainable development indeed is a welcome

> [illegible] the need of ecological [illegible], [illegible] balance between it and the necessity for development must be str[illegible]k. Whereas it is not possible to ignore inter-[illegible]tional interest, it is also not possible to [illegible]ure the d[illegible] which the society urgently [illegible]es.

[illegible] for the parties, on due [illegible] of environment, we are of the considered [illegible] that with respect to order dated 01.05.2011, Collector was not competent to pass such an order without prior approval of the State Government, as provided in Circular dated 25.04.2011. The State Government has superseded earlier orders and Circulars, which were holding the field and with a view to preserve the 'Charagah' land etc., which were being changed or altered in routine manner, has put the rider on power of Collector to change 'Charagah' land, now prior approval of State Government is necessary. The Circular dated 25.04.2011 is appropriate and for the public good it has been issued in public interest, considering the wholesome directions issued by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Jagpal Singh & Ors., Vs. State of Punjab & Ors.(supra).**

It was not open to the Collector, after the Circular had been issued by the State Government on **25.04.2011, to** pass the order dated 01.05.2011, without prior approval of the State Government. Thus, order passed by the Collector on 11.05.2011, recalling its earlier order dated 01.05.2011, was appropriate. However, at the same time, matter is required to be considered by the State Government for grant of approval,

as envisaged in the aforesaid Circular dated 25.04.2011 whether such conversion is appropriate.

Shri Zakir Hussain, Additional Government Counsel appearing on behalf of the State has submitted that the State Government shall consider the matter within a period of three months from today in an objective manner, and pass appropriate reasoned order in this regard.

Coming to the question of running of crushers, it is apparent that the Rajasthan State Pollution Control Board, had taken action for closure of 5 crushers, however, on the basis of alleged misrepresentation, orders were recalled and the crushers again started operation. Now the Rajasthan State Pollution Control Board has again issued show cause notices in July, 2012 to close the operation of crushers as they are running in the prohibited area within 1 km, though the prohibited area is 1.5 km. from Abadi area.

However, Special Investigation Committee in the matter of illegal mining was constituted by this Court consisting of Hon'ble Mr. Justice K.S. Chaudhari(Retd.), who has given distances in his report. In the report, distances of 5 crushers have also been mentioned. Distance of Surya Minetech Crusher from 'Ganglera Mohalla' is 980 meters, Laxmi Stone Crusher from 'Ganglera Mohalla' is 980 meters, Jharvi Crusher from 'Ganglera Mohalla' is 920 meters, NECC Grit Udyog from 'Ganglera Mohalla' is 1080 meters and Shiv Ganga Stone Crusher from 'Ganglera Mohalla' is 1080 meters. Distance of NECC Grid Udyog to Ganglera Mohalla was mesured by GPS and Abadi in Khasra No.1270 was found at a

distrance [illegible] meters [illegible] following is the report submitted by

the Special Investigation Committee:

> [illegible] public interest litigation on [illegible] Khasra No. 1389 [illegible] Khasra No. 1390 [illegible] Khasra No. 1391 [illegible] 5.2[illegible] situated at village Dabla, [illegible] District Sikar is Gair [illegible] lease holders have [illegible] land. Further, [illegible] allotted for [illegible] stone in Khasra No. 1368/1, 1379, 1380, 1381, 1382 Gair Mumkin Pahar. Lease holders are excavating stones by use of heavy blasting material causing noise pollution, cracks in houses and stone spread in Abadi area. 5 big crushers have been installed at a distance of less than one Km. from Abadi. It was further alleged that plantation near Khasra No. 1368 has been damaged.

On 13.04.2012, I inspected site along with following Government officials in the presence of near about 50 villagers-

1. Shri M.P. Meena, Superintending Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Jaipur
2. Shri N.S. Shaktawat, Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Jaipur.
3. Shri Anil Khamesra, Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Sikar.
4. Shri Banwari Lal Sharma, Assistant Conservator of Forest, Neem Ka Thana
5. Shri Surendra Singh, Tehsildar, Neem Ka Thana
6. Dr. Anita Singh, Development Officer, Neem Ka Thana
7. Shri Lekh Raj Morya, Scientists, Rajasthan State Pollution Control Board
8. Shri Kanti Lal Parmar, Mines Forman, Sikar
9. Shri Ram Singh, Girdawar, Dabla
10. Shri Maharam, Patwari Dabla
11. Shri Amar Singh, Patwari Biharipur

No Mining Lease has been granted in Khasra No. 1389, 1390, 1391 which is Gair Mumkin [illegible]. [illegible] is existing in this land. [illegible] permitted way in [illegible] dated 21.05.2007 [illegible] resolution in [illegible] 21.04.2011 [illegible] order dated [illegible] land for 30' [illegible] Collector [illegible] order dated [illegible].05.2011(Annexure-4) has been [illegible] by Hon'ble Rajasthan High Court vide order dated 23.05.2011(Annexure-5) passed in S.B. Civil Writ Petition No. 7140/2011.

Khasra No. 1368, 1379, 1380, 1381, 1382 is Gair-Mumkin Pahar as shown in Jamabandi (Annexure-6) but only 5 mining leases have been granted in Khasra No. 1368 and no mining lease has been granted in Khasra No. 1379, 1380, 1381, 1382. Five mining leases granted in Khasra No. 1368 are not operating at all as they are near Abadi. As per statement(Annexure-7) submitted by Mining Department eight mining leases have been granted in Khasra No. 584 and 42 Mining Leases have been granted in Khasa No. 1373, 1374, 1375, 1376, 1377 which is Gair Mumkin Pahar. Boundary pillars and sign boards were found of Mining Lease area.

As far impact of blasting is concerned, no cracks were observed in two rooms situated at a distance of 50 meter from mines area. Two year old office of NECC Grit Udyog covered by 'Pattis' is situated at a distance of 75 meter from lease area. Glasses have been fixed in windows and gate. Neither any cracks were observed in walls & pattles not any glass was found broken. Some houses were also inspected in the village at a distance of about one Km. and ordinary cracks were observed. 'Community Hall' constructed in 1994 was also seen but no cracks were observed in walls or pattis. In such circumstances it can not be believed that on account of vibrations caused by blasting, cracks occurred in houses. Villagers including panch Shri Rohitash admitted that stones do not spread in Abadi area but they revealed that noise is caused on account of blasting.

There were 5 crushers near Mining Lease area. On 02.07.2011 distance of crushers from

"[illegible] Mohalla" was measured by a team and in survey report (Annexure-8) it was observed as under:

S.No.	[illegible]	[illegible] map	Ganglera Mohalla
1	[illegible] Minerals [illegible]	[illegible] meter	980 meter
2	[illegible] Stone Crusher	[illegible] meter	[illegible] meter
3	[illegible]	[illegible] meter	920 meter
4	NECC Grit Udyog	1280 meter	1080 meter
5	Shiv Ganga Stone Crusher	1310 meter	1080 meter

In my presence distance of NECC Grit Udyog to Ganglera Mohalla was measured by GPS and Abadi in Khasra No. 1270 was found at a distance of 1320 meter.

No plantation was found near Khasra No. 1368. No plantation was found in or near Mining Lease Area."

As per report, it is apparent that certain crushers are running within the area of 1 km. and others are also within 1.5 km., one of them is 1.32 km. i.e. within 1.5 km area. The Rajasthan State Pollution Control Board has issued show cause notice to such crushers for closure. Earlier closure was ordered, however we are informed that only 2 crushers are running as on today i.e. of N.E.C.C. Grit Udyog and Shiv Ganga Associates, rest of the crushers are not running.

Considering the report, prima-facie we find that such crushers within distance of 1.5 k.m. cannot be permitted to run, however, let final decision be taken by the Rajasthan State Pollution Control Board considering the report.

Let the Rajasthan State Pollution Control Board

take [illegible] within a period of ten days from today. In case, if it is found that crushers are operating beyond 1.5 km. area, only then operation can be permitted, not otherwise. The stone crushers [illegible] are running [illegible] from 1.5 km. area, as per the report [illegible] Investigation. Consequently, we order closure, none of the stone crushers within the distance of 1.5 km. shall be permitted to be operated, till final decision is taken by the Rajasthan State Pollution Control Board on show cause notices. Other violations may also be considered by the Rajasthan State Pollution Control Board.

Coming to the question of blasting of impermissible magnitude, no doubt about it that some of the minings lease holders are having permission for deep hole blasting, but that is not the end of matter. Question is also that how much charge is being put and blasting is of how much magnitude. It is not uncommon that out of greed to extract more mineral illegal blastings are done.

Collector, Sikar is directed to consider the question whether damage has been caused and cracks have been created in the houses and also get random checking done of the blasting operation. In case it is found that mining is causing damage to the houses, leases be cancelled. The Collector to further ensure that blasting is kept within the permissible magnitude. Collector is also directed to ensure that no damage is caused by mining operation in the 'Charagah' land, to the water harvesting structures as well as the houses in the Abadi area and to the plantation, which has been done in the large area, is protected and conserved.

[illegible]et the Collector examine the aforesaid questions and in case damage is being caused, let necessary action for [illegible] mining leases be taken. At all cost, Collector to [illegible] aforesaid other areas, [illegible] necessary to be preserved.

[illegible] the D.B. Public Interest Litigation [illegible] No.7114/2011 [illegible] the following directions:-

(i) Let the Rajasthan State Pollution Control Board to take a decision within a period of ten days from today on show cause notices. The stone crushers, which are running within 1.5 km. area, as per the report of Special Investigation Committee, shall not operate, till final decision is taken by the Rajasthan State Pollution Control Board.

(ii) The Collector, Sikar is directed to consider the question whether damage/cracks have been caused in the houses and random checking of the blasting operation be made to ensure that blasting is kept within the permissible magnitude. Collector is also directed to ensure that no damage is caused by mining operation to the 'Charagah' land, water harvesting structures as well as to the houses in the Abadi area, trees and to the other plantation, which has been made.

(iii) Let the Collector examine the aforesaid questions and in case damage has been caused, let mining leases be cancelled, in accordance with law.

Civil Writ Petition No.7140/2011 is also disposed off with a direction to the State Government to decide the matter regarding grant of approval. Let Collector concerned

write the State Government within a period of 15 days from today. Let the State Government to take a decision in the matter within 3 months. The order dated 01.05.2011 is held to [illegible] order dated 11.05.2011 passed by the District Collector, Sikar is found to be appropriate. Both writ petitions and [illegible] Application No. [illegible] stand disposed off. Application (I.A. No. [illegible]) also stands disposed off.

(NARENDRA KUMAR JAIN-I),J. (ARUN MISHRA),CJ.

/KKC/

Certificate:

All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed.

KAMLESH KUMAR
P.A.

(4)

कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांक 4001-4008/राजस्व/2011 दिनांक 11 मई, 2011

आदेश

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-10(3)राज-6/2001/7 दिनांक 25.04.2011 को जानकारी होने पर उसके परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-7 (42)/रास्ता/भू.आ./राजस्व/11/3525 दिनांक 1.5.2011, जिसके द्वारा ग्राम डाबला के ख.नं. 1389 रकबा 10.74 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर, ख.नं.1390 रकबा 6.78 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर एवं ख.नं. 1391 रकबा 5.21 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 22.73 हैक्टर किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.82 है. रकबा सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजन से भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित किया गया, को एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

11/5/11

जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक 4001-4008/राजस्व/2011 दिनांक 11 मई, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग एवं प्रभारी सचिव जिला सीकर (राजस्थान)
2. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा कलेक्ट्रेट, सीकर।
4. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना।
5. तहसीलदार, नीमकाथाना।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमकाथाना।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत डाबला प.स. नीमकाथाना।
8. रक्षी पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी,
राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर
(अति. जिला कलक्टर, सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, सीकर

प्रतिलिपि लिपिक
राजस्व शाखा
कलेक्ट्रेट, सीकर

2 रु. कोर्ट फी Rs.2
COURT FEE
भारत INDIA
दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

सर्वोच्च न्यायालय निर्णय – अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक:एफ–10(3)राज–6/2001/7 जयपुर, दिनांक 25/04/2011

निमित्त
जिला कलेक्टर्स (समस्त)

परिपत्र

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No.1132/2011 @ SLP (C) No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–2011 में चरागाह भूमियों/ जोहड पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये दी गयी भूमियो अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधान अनुसार जिला कलेक्टर को 4 हैक्टेयर तक चरागाह भूमि कृषि व अन्य प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत से सलाह करके भूवर्गीकरण में परिवर्तन कर आवंटन करने अथवा धारा 92 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अलग (set apart) करने का अधिकार है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28–01–2011 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चरागाह भूमियों/ जोहड पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों का निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे।

अतः निर्देशानुसार चरागाह भूमियों के आवंटन, नियमन, खनन एवं अन्य प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने आदि के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों/परिपत्रों आदि के अतिक्रमण में चरागाह भूमियों के निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये आवंटन एवं नियमन पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी जाती है। अगर किसी प्रकरण में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरागाह भूमि का आवंटन किया जाना अत्यावश्यक हो तो जिला कलेक्टर द्वारा कारण अंकित करते हुये अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावेगा और राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद ही ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन किया जा सकेगा।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय/ राजस्व मंत्री महोदय/ राजस्व राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. सम्भागीय आयुक्तगण (समस्त), राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. समस्त उपशासन सचिवगण, राजस्व विभाग।
6. गार्ड पत्रावली।

उप शासन सचिव
25/4/11

प्रभारी अधिकारी
राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, सीकर

लिपिक
राजस्व शाखा
कलेक्ट्रेट, सीकर

कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर
दिनांक 10–5–11
क्रमांक:- रा.का./2011/3943–3956
प्रतिलिपि पालनार्थ-
1- उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/दांतारामगढ़/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ़/
2- तहसीलदार नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/दांतारामगढ़/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ़/
10/5/2011

कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला, पं.स. नीमकाथाना (सीकर) राज.

प्रेषक :-
सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत, डाबला
पं.स.- नीमकाथाना(सीकर)

सत्यमेव जयते

प्रतिष्ठा में
श्रीमान्..
....
....

पत्रांक :- 18 दिनांक 16-5-11

ग्राम सभा बैठक दिनांक 12-05-2011 के प्रस्ताव सं. 04 की नकल

वार्डपंच श्री नवल भारद्वाज एवं रोहिताश शर्मा ने ग्रामसभा
में बताया कि दि. 20-4-2011 को ग्रा.पं. की बैठक में प्रस्ताव
3 के द्वारा ग्राम पंचायत डाबला के अन्तर्गत जो क्रेशर
चल रहे हैं उनको बंद करवाने का प्रस्ताव लिया गया था
उसका ग्राम सभा में अनुमोदन करवाया जाना है। जिस
पर ग्राम सभा में चर्चा की गयी चर्चा उपरान्त उपस्थित
सदस्यों ने विचार विमर्श कर दि. 20-4-11 को लिया गया
प्र.सं. उक्त अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

प्रमिला
सरपंच
ग्राम पंचायत डाबला
पं० स० नीमकाथाना (सीकर)

…लय ग्राम पंचायत डाबला, पं.स. नीमकाथाना (सीकर) राज.

प्रेषक :-
सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत, डाबला
पं.स.- नीमकाथाना(सीकर)

सत्यमेव जयते

प्रतिष्ठा में
श्रीमान्

पत्रांक :- 17 दिनांक 16.5.11

ग्राम सभा बैठक दिनांक 12-05-2011 के प्रस्ताव सं 03 की नकल

ग्राम सभा मे उदमीराम स्वामी, सुमेर सिंह, सुनिल शर्मा, रोहिताश पंच ने ग्राम सभा मे प्रस्ताव रखा कि ख.न. 1389, 1390, 1391 गोचर भूमि मे बाहर के आदमियो द्वारा नुकसान पहुचाया जा रहा था उस गोचर भूमि मे रास्ता रोकने पर हमे झुठे मुकदमे मे फसाया गया है जिस पर ग्राम सभा मे चर्चा की ग्राम सभा मे उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी चर्चा उपरान्त ग्राम सभा मे उपस्थित सदस्यो ने बताया कि जिन व्यक्तियो पर प्रशासन द्वारा झुठे मुकदमे दर्ज करवाये गये थे उन्हे वापस लेने का प्रस्ताव ग्रामसभा मे सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

प्रमिला
सरपंच
ग्राम पंचायत डाबला
पं० स० नीमकाथाना (सीकर)

कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला, पं.स. नीमकाथाना (सीकर) राज.

प्रेषक :-
सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत, डाबला
पं.स.- नीमकाथाना(सीकर)

सत्यमेव जयते

प्रतिष्ठा में
श्रीमान्.........................

पत्रांक :-   दिनांक.........................

ग्राम सभा बैठक दि० 12-5-2011 के प्र० सं० 2 की नकल

ग्राम सभा में सुमेरसिंह, जयरामसिंह, कृष्णकुमार ने ग्राम सभा में बताया कि ग्राम डाबला क्षेत्र में चल रहे क्रेशर्स को बंद करवाने, खनन पट्टे निरस्त करवाने, खनन हेतु अनुमति नहीं देने चारागाह व सिवायचक भूमि में से व्यावसायिक उपयोग हेतु वाहनों को रास्ता नहीं देने का प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों ने प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्रेशर्स को बंद करवाने, खनन पट्टे निरस्त करवाने, खनन हेतु अनुमति नहीं देने चारागाह व सिवायचक भूमि में से व्यावसायिक हेतु वाहनों को रास्ता नहीं देने का प्रस्ताव का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

सत्यापित प्रतिलिपि
Kru 31-8-2013
सरपंच एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत डाबला
पं० स० नीमकाथाना (सीकर)

कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला, पं.स. नीमकाथाना (सीकर) राज.

प्रेषक :-
सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत, डाबला
पं.स.- नीमकाथाना (सीकर)

प्रतिष्ठा में
श्रीमान् ....

सत्यमेव जयते

पत्रांक :- /ग्रा०/पं०/2011/8

दिनांक 21-5-11

ग्रा० पं० बैठक दि० 20-5-11 के प्रस्ताव 3 की नकल

प्र०स०3 :- सरपंच महोदया ने कोरम को बताया कि दि० 13-5-11 को ग्रामवासियो ने प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम व ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे क्रेशरो को बन्द करवाया जाना चाहिए क्योंकि क्रेशर चलने से ग्राम में विभिन्न प्रकार के नुकसान होते है जिस पर ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चा की गयी चर्चा उपरान्त उपस्थित कोरम ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत क्रेशर चल रहे है उनको बन्द करवाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया व क्रेशरो को बन्द करवाने हेतु उच्च अधिकारियो को निवेदन किया जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रमिला
सरपंच
ग्राम पंचायत डाबला
पं० स० नीमकाथाना [illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला, पं.स. नीमकाथाना (सीकर) राज.

प्रेषक :-
सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत, डाबला
पं.स.- नीमकाथाना(सीकर)

प्रतिष्ठा में
श्रीमान्..............................

सत्यमेव जयते

पत्रांक :- 18 दिनांक 16-5-11

ग्राम सभा बैठक दिनांक 12-05-2011 के प्रस्ताव नं० 04 की नकल

वार्डपंच श्री मदन भारद्वाज एंव रोहिताश शर्मा ने ग्रामसभा मे बताया कि दि० 20-4-2011 को ग्रा० प० की बैठक मे प्रस्ता० चल रहे है उनको बंद करवाने का प्रस्ताव लिया गया था उसका ग्राम सभा मे अनुमोदन करवाया जाना है जिस पर ग्राम सभा मे चर्चा की गयी चर्चा उपरान्त उपस्थित सदस्यो के विचार विमर्श कर दि० 20-4-11 को लिया गया प्र० नं० उका अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

प्रमिला
सरपंच
ग्राम पंचायत डाबला
पं० स० नीमकाथाना (सीकर)

राज0सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

दिनांकः–4.6.2013

क्रमांकः–राजस्व/पी0ए0/811

जिला कलक्टर महोदय,
सीकर।

विषयः– एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7140/2011 सुनिल मूंदडा बनाम राज0राज्य व अन्य पारित आदेश दिनांक 13.9.2012 की पालना के संबंध में दिनांक 09.5.2013 के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांकः4208/राजस्व/2013, दिनांक 09.5.2013 के संबंध में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में प्रासांगिक पत्र द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि संबंधित सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुये स्पष्ट प्रस्ताव भिजवावें।

इस संबंध में निवेदन है कि संबंधित ग्राम पंचायत डाबला को पत्र क्रमांक 767 दिनांक 16.5.2013 के द्वारा रास्ते के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत /प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था किन्तु ग्रामपंचायत से आदिनांक तक कोई अभिमत/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। डाबला की तन में स्थित चारागाह भूमि ख0नं0 1389,1390 व 1391में से होकर आम रास्ते बावत कोई प्रार्थना पत्र भी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी निवेदन है कि वर्तमान में जनहित और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते बावत कोई प्रार्थना पत्र भी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकःएफ.10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.4.2011के प्रावधानानुसार उक्त चारागाह भूमि में से वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आंबटन किया जाने बावत कोई अति आवश्यक परिस्थितियॉ उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रतिलिपि लिपिक
राजस्व शाखा
कलेक्ट्रेट, सीकर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक 161 शीघ्र / राजस्व / 2013 दिनांक 4/9/13

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

सीकर।

विषय—एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 7140 / 11 सुनिल मूंदडा बनाम राज.राज्य व अन्य मा. राज. उच्च न्यायालय,जयपुर में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.9.2012 की पालना के संबंध में ।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 6048 / राजस्व / 2013 दिनांक 26.8.13

महोदय,

प्रसंगिक विषय में निवेदन है कि आपका पत्रांक 4208 / राजस्व / 2013 दिनांक 9.5.2013 की पालना में कार्यालय द्वारा संबंधित सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं सरपंच ग्राम पंचायत डाबला,विकास अधिकारी पंचायत समिति,नीमकाथाना, परिवहन निरीक्षक परिवहन विभाग नीमकाथाना से स्पष्ट प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया था । ग्राम डाबला की तन में स्थित चारागाह भूमि ख.नं. 1389,1390 व 1391 में से होकर आम रास्ते बाबत कोई स्पष्ट प्रस्ताव एवं आम रास्ते बाबत कोई प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक:एफ.10(3)राज—6 / 2001 / 7 दिनांक 25.4.2011 के प्रावधानानुसार उक्त चारागाह भूमि में से वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आवंटन किया जाने बाबत कोई अति आवश्यक परिस्थितियॉ उपलब्ध नहीं है ।

उक्त रास्ता केवल कुछ स्टोन केशर मालिकों द्वारा मांगा जा रहा है । इस रास्ते में कोई जनहित नहीं है तथा अत्यावश्यक भी नहीं है । यदि चारागाह भूमि में से वर्तमान में कोई रास्ता दिया जाता है तो गॉव में असन्तोष व्याप्त होकर शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेशा रहेगा । इससे पूर्व भी आपकी सेवामें पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । पुनः फोटो प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।

स्पष्ट रिपोर्ट सादर प्रेषित है ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

SL01RW

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–3)विभाग

क्रमांक प02(643)राज–3/12

जयपुर, दिनांक 13.9.2013

जिला कलक्टर,
सीकर।

विषय–एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7140/2011 सुनिल मून्दडा बनाम राज0राज्य व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2012 की पालना करने के संबंध में।

संदर्भ–आपका पत्र क्रमांक राजस्व/2012/7017 दिनांक 28.9.2012 एवं पत्र क्रमांक 6742/राजस्व/13 दिनांक 6.9.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि ग्राम डाबला में स्थित चारागाह भूमि खसरा न0 1389, 1390 एवं 1391 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन किये जा... बाबत आपने संदर्भित पत्र दिनांक 6.9.2013 द्वारा अवगत कराया है कि ... के परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.4.2011 के प्रावधानुसार उक्त चारागाह भूमि में से वर्तमान परिस्थितियों में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आवंटन किया जाने बाबत कोई अतिआवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं है। इस रास्ते में कोई जनहित नहीं है तथा अत्यावश्यक भी नही है।

अतः आपके प्रस्तावानुसार ग्राम डाबला में स्थित चारागाह भूमि खसरा न0 ... 1390 एवं 1391 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन किये जाने बाबत प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

आपके कार्यालय की मूल पत्रावली संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
राजस्व ... कलेक्ट्रेट, सीकर

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिक

चायत डाबला पं.स. पाटन, जिला-नीमकाथाना

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, SIKAR

WELCOMES TO THE PUBLIC HEARING FOR ENVIRONMENT CLEARANCE OF

Masonry Stone Mine, Delineated Plot No. - 67, Area: 1.79 Ha., Production Capacity: 3,00,000 TPA (ROM)

Near Village - Dabla, Tehsil - Patan, District – Sikar, Rajasthan

BY M/s. Venus Mines

(Located within Cluster No. - 28, Cluster Area - 13.4106 Ha.)

S. No.	M.L No./ PLOT No.	Name of Lessee/ LOI Holder	Mineral	Area (Ha.)
Proposed Project				
1.	Delineated Plot No. - 67	M/s. Venus Mines	Masonry Stone	1.79
Leases granted after 09.09.2013 within 500 m. Radius of Proposed Project				
1.	M.L. No. 16/2020 (Plot-28)	Shri Ashish Deewan	Masonry Stone	1.3600
2.	M.L. No. 17/2020 (Plot-29)	Shri Ashish Deewan	Masonry Stone	1.1814
3	M.L. No. 18/2020 (Plot-30)	Shri Ashish Deewan	Masonry Stone	1.0644
[illegible]	M.L. No. 19/2020 (Plot-31)	Shri Kailash Meena	Masonry Stone	1.00
[illegible]	Plot No.27	Shri Suryapratap Singh	Masonry Stone	1.00
[illegible]	Plot No.63	M/s. G D Mining Pvt. Ltd.	Masonry Stone	1.00
[illegible]	Plot No.64	M/s. G D Mining Pvt. Ltd.	Masonry Stone	1.2598
[illegible]	Plot No.65	M/s. G D Mining Pvt. Ltd.	Masonry Stone	1.5050
[illegible]	Plot No.66	M/s. G D Mining Pvt. Ltd.	Masonry Stone	2.2500
				13.4[illegible]06

Rajiv Ga[illegible] [illegible]llage: Dabla,
[illegible]hsil: Patan (O[illegible]), District: Sikar

DATE & TIME:
12.06.2026 (Friday)
01:30 P.M.

ORGANIZED BY:
Rajasthan State Pollution Control Board
Regional Office, Sikar

CONTROL BOARD, SIKAR
M/s. Venus Mines
Total Cluster Area
VENUE
Rajiv Gandhi Seva Kendra, Village: Dabla,
DATE & TIME
12.06.2026 (Friday)
01:30 PM
ORGANIZED BY
Rajasthan State Pollution C
Regional Office: Sikar

धूम्रपान वर्जित है।
REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, SIKAR
M/s. Venus Mines
VENUE
DATE & TIME
9. श्री राहुल कुमार
10. श्रीमती
11. श्रीमती

कृपया शान्ति बनाये रखे
क्र.सं. नाम
1. श्री रामचन्द्र
2. " फूलचन्द
3. " रामवतार
4. " मालीराम यादव
5. " रामवतार
6. प्रशासक
7. " रामवतार
8. " कुशाल सिंह
9. श्रीमती फूलकंवर
10. " " प्रमिला पवडी
11. श्री कुमार जिलोवा
12. " सागरमल यादव
13. प्रशासक
14.
15.
16.

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर

धूम्रपान वर्जित है
10. श्री मती गुलाब देवी
11. श्री मती मंजु कँवर

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No.64
Plot No.65
M/s. G D Mining Pvt. Ltd.
Plot No.66
Total Cluster Area
DATE & TIME
12.06.2026 (Friday
01:30 P.M.
VENUE:
Rajiv Gandhi Seva Kendra, Village: Dabla,
Tehsil: Patan (Old: Neem Ka Thana), District: Sikar

S.G.
NEWS

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, SIKAR

WELCOMES TO THE PUBLIC HEARING FOR ENVIRONMENT CLEARANCE OF

Masonry Stone Mine, Delineated Plot No. - 67, Area: 1.79 Ha., Production Capacity: 3,00,000 TPA (ROM)

Near Village - Dabla, Tehsil - Patan, District – Sikar, Rajasthan

BY M/s. Venus Mines

(Located within Cluster No. - 28, Cluster Area - 13.4106 Ha.)

S. No.	M.L No./ PLOT No.	Name of Lessee/ LOI Holder	Mineral	Area (Ha.)
Proposed Project				
1.	Delineated Plot No. - 67	M/s. Venus Mines	Masonry Stone	1.79
Leases granted after 09.09.2013 within 500 m. Radius of Proposed Project				
1.	M.L. No. 16/2020 (Plot-28)	Shri Ashish Deewan	Masonry Stone	1.3600
2.	M.L. No. 17/2020 (Plot-29)	Shri Ashish Deewan	Masonry Stone	1.1814
3.	M.L. No. 18/2020 (Plot-30)	Shri Ashish Deewan	Masonry Stone	1.0644
4.	M.L. No. 19/2020 (Plot-31)	Shri Kailash Meena	Masonry Stone	1.00
5.	Plot No.27	Shri Suryapra[illegible]	Masonry Stone	1.00
6.	Plot No.63	M/s. G D Mi[illegible] Pvt. Ltd.	Masonry Stone	1.00
7.	Plot No.64	M/s. G D Mining Pvt Ltd.	Masonry Stone	1.2598
8.	Plot No.65	M/s. G D Mining Pvt. Ltd.	Masonry Stone	1.5050
9.	Plot No.66	M/s. G D Mining Pvt. Ltd.	Masonry Stone	2.2500
Total Cluster Area				13.4106

VENUE:
Rajiv Gandhi Seva Kendra, Village: Dabla,
l: Patan (Old: Neem Ka Thana), District: Sikar

DATE & TIME:
12.06.2026 (Friday)
01:30 P.M.

ORGANIZED BY:
Rajasthan State Pollution Control Board
Regional Office, Sikar

9. श्री राहुल कुमार मीणा

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, SIKAR
M/s Venus Mines
ORGANIZED BY
Rajasthan State Pollution Control Board
Regional Office, Sikar
10. श्रीमती गुलाब देवी
11. श्रीमती मंजु कँवर
12. श्री अमित कुमार स्वामी

Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board,
Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO Sikar/SIK-PH-054/168 Date:-23.04.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सुचना

विषय :- मैसर्स विनस माईन्स, प्लॉट नम्बर 67, खसरा नम्बर 1778, 795, निकट ग्राम डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स विनस माईन्स द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 13.4106 हेक्टेयर, प्लॉट नम्बर 67, खसरा नम्बर 1778, 795 निकट ग्राम डाबला, तहसील - नीमकाथाना एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स विनस माईन्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

I. जिला कलेक्टर, सीकर। II. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर। III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। IV. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर VI. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर। VII. ग्राम पंचायत, डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर। VIII. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर IX. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। X. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1483 दिनांक 20.04.2026 के क्रम इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 01:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board,
Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO Sikar/SIK-PH-054/168 Date:-23.04.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सुचना

विषय :- मैसर्स विनस माईन्स, प्लॉट नम्बर 67. खसरा नम्बर 1778, 795, निकट ग्राम डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स विनस माईन्स द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 13.4106 हेक्टेयर, प्लॉट नम्बर 67, खसरा नम्बर 1778, 795 निकट ग्राम डाबला, तहसील - नीमकाथाना एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स विनस माईन्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यकारी सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

I. जिला कलेक्टर, सीकर। II. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर। III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। IV. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर VI. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर। VII. ग्राम पंचायत, डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर। VIII. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर IX. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। X. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1423 दिनांक 20.04.2026 के क्रम इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 01:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबला, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन संपन्न तथा सभी सावधानी / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर